राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 27 (5)ग्रावि/नरेगा/समीक्षा/मासिक प्रगति/13–14 जयपुर दिनांक 30.07.2014 31 JUL 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त (राजस्थान)।

विषय :– ई–उपस्थिति व्यवस्था व एचआईएमएस डैशबोर्ड अलर्टस् पर कार्यवाही रिपोर्ट भिजवाने के संबंध में। **(E-attendance on HIMS dashboard and to send action taken report on dashboard alerts)**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वेबवेरूड एमआईएस सिस्टम **"नरेगा सॉफ्ट"** पर योजना से संबंधित समस्त सूचनाऐं उपलब्ध है। इस व्यवस्था में योजना से संबंधित महत्वपूर्ण मापदण्ड (**Key Indicator**) के संदर्भ में अपेक्षित कार्य समय पर न होने/प्रगति में कमी रहने/कार्य योजना की दिशा निर्देशानुसार न होना इत्यादि के संबंध में अलर्टस का प्रावधान किया हुआ है। इसी प्रकार नरेगा कॉल सेन्टर, एचआईएमएस (Helpdesk cum Information and Monitoring System) के माध्यम से इन अलटर्स की सूचना इस योजना के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी अधिकारियों को भिजवाने का प्रावधान है। नरेगा एचआईएमएस के डीपीसी, एडीपीसी, पीओं डैश बोर्ड पर इन अलटर्स की सूचना प्रतिदिन उपलब्ध रहती है। परन्तु यह देखने में आया है कि जिला/ब्लॉक स्तर पर विभिन्न अधिकारीगण द्वारा अन्य कार्य में व्यस्तता की वजह से इन अलर्टस् की तरफ अपेक्षित ध्यान नही दिया जा रहा है। अतः योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जा रही है।

1. **अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक व कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एचआईएमएस के डैश बोर्ड पर "ई–उपस्थिति"** :– समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा एचआईएमएस के डेश बोर्ड पर प्रतिदिन ऑफिस पहुँचते ही लॉगिन (log in) किया जाये। यह ई–उपस्थिति के रूप में स्वतः ही **HIMS Portal** पर दर्ज हो जाएगी। ई–उपस्थिति के समय की सूचना राज्य स्तरीय डेश बोर्ड पर भी प्रदर्शित होगी। इससे न सिर्फ समयबद्वता (Punctuality) सुनिश्चित होगी, बल्कि अधिकारियों को एचआईएमएस डेश बोर्ड के अलर्ट की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। **HIMS Monitoring Cell** द्वारा प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे **ADPC/PO** की ई–उपस्थिति की सूचना आयुक्त नरेगा को प्रस्तुत की जाएगी।
2. **एचआईएमएस के डेशबोर्ड पर उपलब्ध अलर्ट** :– एचआईएमएस के डेश बोर्ड पर निम्न बिन्दुओं से संबंधित अलर्ट की सूचना उपलब्ध है।

क.सं.	बिन्दु	सीमा	अवधि
1	समयबद्ध भुगतान	15 दिवस से अधिक	दैनिक
2	ई–मस्टररोल की फिडिंग व वेज लिस्ट तैयार करना	15 दिवस से अधिक	दैनिक
3	श्रम सामग्री का अनुपात	40 प्रतिशत से अधिक	दैनिक
4	100 दिवस से अधिक रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार	100 दिवस से अधिक	दैनिक
5	शून्य कार्य वाली पंचायतें (विभागीय आदेशानुसार)	शून्य कार्य	मासिक
6	औसत मजदूरी दर	30 रूपये से कम	मासिक
7	कार्य पूर्णता दर	जिला स्तर पर 50 प्रतिशत से कम एवं ब्लॉक स्तर पर 60 प्रतिशत से कम	मासिक

उक्त अलर्टस् का विश्लेषण कर आपके जिले/पंचायत समिति में प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। साथ ही एचआईएमएस के माध्यम से एसएमएस द्वारा अलर्टस की सूचना भी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी व विकास अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी।

3. **जिला/पंचायत समिति स्तर से कार्यवाही रिपोर्ट** :– योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु एचआईएमएस के माध्यम से प्रेषित अलर्ट के संबंध में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अपने जिले/पंचायत समिति से संबंधित अलर्ट अनुसार नरेगा सॉफ्ट में डाटा एन्ट्री अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही (Action taken report) ई–मेल के माध्यम से mgnregs@drit.in को भिजवावें। एचआईएमएस से संबंधित सूचना हेतु श्रीमती संगीता जैन, सहायक अभियंता, ईजीएस मोबाईल नमबर –9530306143 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

4. **मुख्यालय स्तर से दूरभाष के माध्यम से मॉनीटरिंग** :– मुख्यालय के मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ द्वारा भी सप्ताह के निम्नांकित कार्य दिवसों को उनके सामने अंकित संभाग के एडीपीसी, अधिशाषी अभियंता, ईजीएस एवं कार्यक्रम अधिकारीगण से दूरभाष पर वार्ता कर उपरोक्त तालिका के विभिन्न बिन्दुओं पर जिले की प्रगति की जानकारी देते हुये अलर्टस् के बारे में विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जायेगा।

क.स.	सप्ताह दिवस	संभाग जिसकी समीक्षा की जानी है।
1	सोमवार	भतरपुर, बीकानेर
2	मगंलवार	अजमेर, कोटा
3	बुधुवार	जयपुर
4	गुरूवार	जोधपुर
5	शुक्रवार	उदयपुर

यह कार्यवाही मुख्यालय के मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ में कार्यरत अधिकारी श्रीमती प्रीति चौधरी, आरआरडीएस, द्वारा प्रतिदिन सम्पादित की जायेगी एवं विभिन्न जिलों एवं ब्लॉक्स से दूरभाष चर्चा के दौरान यदि कोई विशेष समस्या जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण द्वारा बताई जाती है, तो वह तत्काल आयुक्त नरेगा के ध्यान में लायी ज़ायेगी। इसी प्रकार किसी सप्ताह विशेष में मुख्यालय से दिये निर्देशों के कम में आगामी सप्ताह में कोई सुधार परिलक्षित हुआ है अथवा नही ? इसकी जानकारी भी आयुक्त, ईजीएस को प्रस्तुत की जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपने अधिनस्थ अधिकारीगण को पांबद करने का श्रम करावें, ताकि योजना की प्रभावी मॉनीटरिंग व क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकें।

भवदीय,

(कन्हैया लाल स्वामी)
परि0 निदे0 एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राज.।
2 परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस/ अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस।
3 वित्तीय सलाहकार, ईजीएस/ अधीक्षण अभियंता, ईजीएस/समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।
4 कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, समस्त राज.।
5 श्रीमती प्रीति चौधरी, आरआरडीएस, को कार्यवाही सुनिश्चित कराने बाबत।
6 मैसर्स डॉ0 आई0टी0प्लेनेट्स लिमिटेड, एस–28–32, नीयर जयपुर हॉस्पीटल, महावीर नगर टोंक रोड, जयपुर।
7 रक्षित पत्रावली।

परि0 निदे0 एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस